कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA
मुख्य कार्यालय/Head Office
भविष्य निधि भवन, 14,भीकाजी कामा प्लेस नई दिल्ली -110066
Bhavishya Nidhi Bhawan , 14, Bhikaji Cama Place, New Delhi -110066

सं: हिंदी सलाहकार समिति/2017-18/40वीं बैठक/ 624 दिनांक: 10 JUL 2018

सेवा में,

निदेशक, पीडीनास,
सभी अपर केंद्रीय भविष्य आयुक्त (अंचल)
सभी क्षेत्रीय कार्यालयों / आं.प्र.सं. के प्रभारी क्षेत्रीय भ. नि. आयुक्त
अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त, मुख्यालय, (प्र.से.प्र.) /(मा. सं. प्र) ।

विषय: श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की दिनांक 28.06.2018 को आयोजित 40वीं बैठक के कार्यवृत्त ।

महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषय पर श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, के पत्र सं. 14012/01/2018-रा.भा.नी. दिनांक 09/07/2018 की प्रति (संलग्न) सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्राप्त करें । आपसे अनुरोध है कि बैठक में जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई है उन पर कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

कृपया कृत कार्रवाई से मुख्यालय को अवश्य सूचित करें ।

भवदीय,

संलग्न: यथोपरि

10/7/18

(के.एल.गोयल)
अपर केंद्रीय भ.नि.आयुक्त (मुख्या.)/प्रभारी राजभाषा

प्रतिलिपि:

क्षेत्रीय भ.नि. आयुक्त (एन.डी.सी.) को वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ ।

(103)

संख्या ई-14012/01/2018-रा.भा.नी.
भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
...

श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग,
नई दिल्ली, दिनांक: 09 जुलाई,2018

कार्यालय ज्ञापन

विषय: श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की दिनांक 28.06.2018 को आयोजित 40वीं बैठक का कार्यवृत्त।

माननीय श्रम और रोजगार मंत्री श्री संतोष कुमार गंगवार जी की अध्यक्षता में दिनांक 28.06.2018 को आयोजित हिंदी सलाहकार समिति की 40वीं बैठक के कार्यवृत्त की प्रति आपकी सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

(विजय सिंह मीना)
संयुक्त निदेशक (राजभाषा)
दूरभाष : 23324141

प्रतिलिपि:-

1. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति के सभी सदस्य।
2. श्रम एवं रोजगार मंत्री के निजी सचिव।
3. सचिव के प्रधान निजी सचिव।
4. अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के प्रधान निजी सचिव।
5. प्रधान श्रम एवं रोजगार सलाहकार के प्रधान निजी सचिव।
6. महानिदेशक (रोजगार) के प्रधान निजी सचिव।
7. महानिदेशक (श्रम कल्याण) के निजी सचिव।
8. आर्थिक सलाहकार (श्री देवेन्द्र सिंह) के निजी सचिव।
9. श्रम और रोजगार मंत्रालय के सभी सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालय एवं स्वायत्त निकाय/संगठन।
10. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के सभी अधिकारी/अनुभाग/प्रभाग/डैस्क/एकक आदि।
11. उप सचिव (कार्यान्वयन), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय
12. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
13. प्रधानमंत्री सचिवालय, नई दिल्ली।
14. मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली।
15. संसदीय राजभाषा समिति, 11, तीन मूर्ति मार्ग, नई दिल्ली।
16. नीति आयोग, नीति भवन, नई दिल्ली।
17. सचिव, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली।
18. संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली।
19. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।

माननीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री संतोष कुमार गंगवार जी की अध्यक्षता में दिनांक 28.06.2018 को सांय 6.00 बजे 'होटल फारच्यून कैंसस', तिरूपति, आंध्र प्रदेश में आयोजित हिंदी सलाहकार समिति की 40वीं बैठक का कार्यवृत्त।

श्रम और रोजगार मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की 40वीं बैठक माननीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री संतोष कुमार गंगवार जी की अध्यक्षता में **दिनांक** 28.06.2018 **को सांय** 6.00 **बजे 'होटल फारच्यून कैंसस',** तिरूपति, आंध्र प्रदेश में सम्पन्न हुई। इस बैठक में उपस्थित सदस्यों तथा अधिकारियों की सूची अनुबंध के रूप में संलग्न है।

सर्वप्रथम श्री हीरा लाल सामरिया, सचिव (श्रम एवं रोजगार) ने श्रम और रोजगार मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की 40वीं बैठक में माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सभी सदस्यों का स्वागत किया। सदस्य सचिव श्री देवेन्द्र सिंह ने सचिव (श्रम एवं रोजगार) का स्वागत किया। सचिव महोदय ने समिति को अवगत कराया कि मंत्रालय राजभाषा अधिनियम तथा राजभाषा नियमों का पालन कर रहा है। माननीय मंत्री जी हिन्दी में विशेष रूचि लेते हैं तथा उनके मार्गदर्शन से हमें और भी अच्छा कार्य करने का प्रोत्साहन मिलता है। मंत्रालय राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रतिबद्ध है।

माननीय श्रम एवं रोजगार मंत्री ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में समिति के माननीय सदस्यों का स्वागत करते हुए कहा कि पिछली बैठक 10.10.2017 को कोयम्बतूर में आयोजित की गई थी तथा आपके सुझावों के अनुसार इस बैठक का आयोजन भी दक्षिण भारत में किया जा रहा है। उन्होंने समिति को आश्वस्त किया कि अगली बैठक भी समय पर होगी तथा राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यानुसार प्रत्येक छः माह में इस बैठक का आयोजन किया जाता रहेगा। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि अगली बैठक का आयोजन अक्तूबर-नवम्बर, 2018 में कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि श्रमिक वर्ग की भाषा हिन्दी है, अत: मैं चाहूंगा कि मंत्रालय के अधिकांश कार्य हिन्दी में आम बोल-चाल की भाषा में किए जाने चाहिए। अध्यक्ष महोदय ने यह भी कहा कि हम सब हिन्दी में कार्य कर रहे हैं परन्तु इसे और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। उन्होंने सदस्यों से अपने महत्वपूर्ण सुझाव देने का अनुरोध किया तथा आशा व्यक्त की कि उनके सुझाव राजभाषा की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे।

(कार्रवाई- मंत्रालय तथा मंत्रालय के सभी संबद्ध/स्वायत्त व अधीनस्थ कार्यालय)

माननीय संसद सदस्य श्री रामेश्वर तेली जी ने सुझाव दिया कि मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की अगली बैठक का आयोजन पूर्वोत्तर क्षेत्र में किया जाए। इस क्षेत्र में हिन्दी का प्रयोग कम किया जाता है तथा हिन्दी कम बोली जाती है। असम सरकार के श्रम विभाग में असमिया और अंग्रेजी भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। केन्द्रीय श्रम मंत्रालय के कार्यालयों के साथ-साथ असम सरकार के श्रम विभाग को हिन्दी प्रयोग करने के निदेश जारी किए जाएं।

(कार्रवाई- मंत्रालय तथा मंत्रालय के सभी संबद्ध/स्वायत्त व अधीनस्थ कार्यालय, राजभाषा विभाग)

माननीय संसद सदस्य श्री दुष्यंत चौटाला ने अनुवादकों के पदों की रिक्तता पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि अनुवादकों की अनुपलब्धता के कारण अनुवाद कार्य में विलम्ब होता है तथा मंत्रालयों की वार्षिक रिपोर्ट जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज विलम्ब से संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं। अत: हिन्दी को

आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है कि पूरे देश में विशेषकर दक्षिण भारत में राजभाषा से जुड़े पदों को अविलम्ब भरा जाए।

(कार्रवाई- मंत्रालय तथा मंत्रालय के सभी संबद्ध/स्वायत्त व अधीनस्थ कार्यालय, राजभाषा विभाग)

माननीय सदस्या श्रीमती निरुपमा अग्रवाल ने हिन्दी भाषा को आगे बढ़ाने के लिए दूसरी भाषाओं के प्रचलित शब्दों को अपनाने की वकालत की । उन्होंने कहा कि उच्च अधिकारियों द्वारा हिन्दी में बात करने से हिन्दी को बढ़ावा मिलेगा। अत: सर्वप्रथम वरिष्ठ अधिकारी हिन्दी भाषा को अपनाएं, इसे सीखें तथा लोगों से हिन्दी में बातचीत करें। ऐसा करने से कनिष्ठ अधिकारियों को हिन्दी में काम करने की प्रेरणा तथा प्रोत्साहन मिलेगा।

(कार्रवाई- मंत्रालय तथा मंत्रालय के सभी संबद्ध/स्वायत्त व अधीनस्थ कार्यालय)

माननीय सदस्य श्री जे. एल. राहुल चन्द्रा ने बताया कि तेलंगाना एवं हैदराबाद में उर्दू-हिन्दी मिलाकर बोली जाती है। यहां पर बाहर से आकर बसे लोगों के कारण हिन्दी का विकास हुआ है तथा उनके सम्पर्क में आकर अन्य लोग भी हिन्दी बोल व सीख रहे हैं। उन्होने कहा कि आंध्र प्रदेश में कोई हिन्दी अकेडमी नहीं है तथा स्कूलों में भी हिन्दी नहीं पढ़ाई जाती है। उन्होंने अनुरोध किया कि राज्य सरकार द्वारा वहां पर हिन्दी अकेडमी का निर्माण हो तथा स्कूलों में हिन्दी पढ़ाई जाए, ताकि हिन्दी का विकास हो सके।

समिति के माननीय सदस्य श्री पी.एल.कोठारी ने कहा कि 'क' एवं 'ख' क्षेत्रों में 100%कार्य हिन्दी में नहीं हो रहा है तथा श्रम ब्यूरो धारा 3(3) तथा नियम 5 का उल्लंघन कर रहा है। उन्होंने कहा कि और अधिक कार्यालयों को नियम 10(4) के अंतर्गत अधिसूचित किया जाना चाहिए। सभी कार्यालय हिन्दी में पत्राचार को बढ़ाएं ताकि निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। उन्होंने अनुरोध किया कि वरिष्ठ अधिकारी स्वयं भी हिन्दी का प्रयोग करें तथा सभी कार्यालयों में राजभाषा संबंधी रिक्त पदों को भरा जाए। उन्होंने भी हिन्दी सलाहकार समिति की अगली बैठक पूर्वोत्तर में कराने का सुझाव दिया।

(कार्रवाई- मंत्रालय तथा मंत्रालय के सभी संबद्ध/स्वायत्त व अधीनस्थ कार्यालय)

समिति के एक अन्य माननीय सदस्य श्री सुरेश तिवारी ने सुझाव दिया कि आगामी बैठक का आयोजन पूर्वोत्तर में 'ग' क्षेत्र में कराया जाए। उन्होंने मंत्रालय तथा संबद्ध/अधीनस्थ/स्वायत्त कार्यालयों का हिन्दी में बेहतर कार्य करने के लिए धन्यवाद किया एवं आभार जताया। उन्होंने कहा कि कुछ कार्यालय अच्छी संख्या में हिन्दी में टिप्पणियां कर रहे हैं जो कि प्रेरणादायक हैं। उन्होंने शेष कार्यालयों को नियम 10(4) के अंतर्गत अधिसूचित कराने का सुझाव दिया। 'क' क्षेत्र में अभी भी अंग्रेजी में पत्र जारी किए जा रहे हैं, जो उचित नहीं है। उन्होंने राजभाषा संबंधी पदों की रिक्तता पर गहरी चिंता जाहिर की। उन्होंने सभी विभागों से अनुरोध किया कि इन रिक्त पदों को भरने के लिए योजनाबद्ध ढंग से कार्य करते हुए उन्हें एक निश्चित समय-सीमा में भरें। उन्होंने कहा कि सभी कार्यालयों की वेबसाइट द्विभाषी

होनी चाहिए। उन्होंने कार्यालय संदर्भिका का निर्माण करने की आवश्यकता पर बल दिया तथा कहा कि हर तिमाही में कार्यशालाओं का आयोजन किया जाना चाहिए।

(कार्रवाई- मंत्रालय तथा मंत्रालय के सभी संबद्ध/स्वायत्त व अधीनस्थ कार्यालय, राजभाषा विभाग)

माननीय सदस्य डॉ. यतीन्द्र कटारिया ने कहा कि यह बड़े हर्ष का विषय है कि माननीय श्रम एवं रोजगार मंत्री जी स्वयं हिन्दी बोलते हैं तथा राजभाषा की प्रगति में विशेष रूचि रखते हैं। उन्होंने कहा कि न केवल भारत में अपितु पूरे विश्व में हिन्दी को बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि योग की तरह एक दिन हिन्दी को भी संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा के रूप में स्थान मिलेगा। उन्होंने पिछली बैठकों के आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए हिन्दी की प्रगति पर प्रसन्नता व्यक्त की तथा माना कि मंत्रालय में हिन्दी में कार्य में प्रगति हो रही है। उन्होंने कार्यशालाओं के आयोजन पर बल दिया तथा विशेष रूप से ईपीएफओ में राजभाषा संबंधी पदों की रिक्तियों पर चिंता जाहिर की । उन्होंने कहा कि जब कार्यालय में सर्वोच्च पद अर्थात् निदेशक (राजभाषा) का पद खाली है तो वहां पर हिन्दी की प्रगति की आशा कैसे की जा सकती है। उन्होंने तत्काल आधार पर इन पदों को भरने का अनुरोध किया।

(कार्रवाई- मंत्रालय तथा मंत्रालय के सभी संबद्ध/स्वायत्त व अधीनस्थ कार्यालय एवं राजभाषा विभाग)

माननीय मंत्री महोदय ने हिन्दी को उचित स्थान न मिलने पर चिंता जाहिर की तथा कहा कि इसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं। हमें हिन्दी पर गर्व होना चाहिए। उन्होंने माना की नई सरकार सही ढंग से कार्य कर रही है तथा हिन्दी के विकास के प्रति प्रयत्नशील है। उन्होंने एक बार फिर से सदस्यों को आश्वस्त किया कि अगली बैठक समय पर होगी तथा सदस्यों से मंत्रालय में राजभाषा के कार्यान्वयन में हो रही कमियों को इंगित करने का अनुरोध किया तथा कहा कि हम इन कमियों को दूर करके हिन्दी के विकास के लिए कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि सदस्य अपने सुझाव मंत्रालय को लिखित रूप में भी भेज सकते हैं।

(कार्रवाई- मंत्रालय तथा मंत्रालय के सभी संबद्ध/स्वायत्त व अधीनस्थ कार्यालय एवं राजभाषा विभाग)

अंत में आर्थिक सलाहकार महोदय ने हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए माननीय श्रम एवं रोजगार मंत्री जी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने समिति के सभी माननीय सदस्यों का भी उनके बहुमूल्य सुझावों के लिए आभार व्यक्त किया और उन्हें आश्वस्त किया कि माननीय सदस्यों के सुझावों को मूर्तरूप देने का पूर्ण प्रयास किया जायेगा। उन्होंने मंत्रालय और इसके अधीनस्थ कार्यालयों से पधारे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ कर्मचारी राज्य बीमा निगम के मुख्यालय तथा तिरूपति कार्यालय के सभी पदाधिकारियों का भी बैठक के सफल आयोजन में योगदान हेतु आभार व्यक्त किया। अंत में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

******

अनुबंध

माननीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री संतोष कुमार गंगवार जी की अध्यक्षता में दिनांक 28.06.2018 (गुरूवार) को सांय 6.00 बजे 'होटल फारच्यून केंसस', तिरूपति, आंध्र प्रदेश 'में आयोजित हिंदी सलाहकार समिति की 40वीं बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों एवं अधिकारियों की सूची।

क्रम संख्या	नाम	पदनाम
1.	श्री संतोष कुमार गंगवार	अध्यक्ष/श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
2.	श्री हीरा लाल सामरिया	सचिव (श्रम एवं रोजगार)
3.	श्री देवेन्द्र सिंह	आर्थिक सलाहकार/सदस्य सचिव
4.	श्री रामेश्वर तेली	सांसद (लोक सभा)
5.	श्री दुष्यंत चौटाला	सांसद (लोक सभा)
6.	श्रीमती निरूपमा अग्रवाल	सदस्य
7.	श्री राहुल चन्द्रा	सदस्य
8.	श्री पी.एल.कोठारी	सदस्य
9.	श्री सुरेश तिवारी	सदस्य
10.	डॉ. यतीन्द्र कटारिया	सदस्य
11.	श्री राज कुमार	महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम
12.	डॉ.वी.पी.जॉय	केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त
13.	श्री रजित पुन्हानी	महानिदेशक, श्रम कल्याण
14.	श्री एच. श्रीनिवास	महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई
15.	श्री राजन वर्मा	अपर मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय)
16.	डॉ. ओंकार शर्मा	उप-मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय)
17.	श्री उत्पल साहा	उप-महानिदेशक (डीजीएमएस)
18.	श्री स्वदेश कुमार गर्ग	बीमा आयुक्त, कर्मचारी राज्य बीमा निगम
19.	श्री प्र. कु. माहेश्वरी	निदेशक
20.	श्री बैद्यनाथ झा	निदेशक (खान सुरक्षा) डीजीफासली
21.	श्री विनोद तलाशी	संयुक्त निदेशक
22.	डॉ. सुष्मिता भट्टाचार्य	उप-निदेशक, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय
23.	श्री श्याम सुन्दर कथुरिया	उप-निदेशक (राजभाषा), क.रा.बी.नि.
24.	श्री उमेश प्रसाद उदय	सहायक निदेशक (रा.भा.), रोजगार महानिदेशालय
25.	श्री आशुतोष श्रीवास्तव	सहायक निदेशक
26.	श्री विजय सिंह मीना	संयुक्त निदेशक (रा.भा.)
27.	श्रीमती अनुपमा परमार	सहायक निदेशक (रा.भा.)
28.	श्री प्रकाश कुमार	वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक
29.	श्री मनोज कुमार	वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक
30.	श्री महिपाल सिंह	अनुभाग अधिकारी
31.	श्री अश्वनी कुमार	कनिष्ठ अनुवादक, श्रम ब्यूरो